

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर-492002


// शुद्ध पत्र //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 1-62/2015/सत्रह/एक :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के स्थान पर तीन वर्ष परिवीक्षा अवधि तथा उक्त आदेश की तालिका के कॉलम 05 में अंकित प्रस्तावित पदस्थापना स्थल के स्थान पर पदस्थापना स्थल पढ़ा जावें।

2/ सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त उक्त चिकित्सा अधिकारियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020, के अनुसार स्टापेण्ड देय होगा।

3/ आदेश का शेष भाग तथा शर्तें यथावत रहेंगी।


(राजेन्द्र सिंह गौर)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

पृ0क्रमांक एफ 1-62/2015/सत्रह/एक

प्रतिलिपि :-

01. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नया रायपुर।
03. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
04. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
05. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
06. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ ।
07. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
08. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
09. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़ ।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी..... ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
11. स्टाक फाईल ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



— मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं —

